न्यायालय सहायक कलेक्टर पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी – अवि गर्ग आरएएस

मुकदमा संख्या :– 179/2017

अनुवान मुकदमा –

अनिल कुमार पुत्र श्री लालचन्द जाति कुम्हार साकिन सूरावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।

प्रतिवादी–

दिनांक 16.11.2017

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

वाद वादी संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी के नाम से सयुक्त खाता में खातेदारी कृशी भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 7 एचडीपी के खाता सं.78 के पं. नं. 8/250(33) के किं. नं. 1 ता 3, 7 ता 14, 17 ता 24 की 4.807 हैक. नहरी पं. नं. 8/251(56) के कि. नं. 1 ता 5, 10 की 1.518 हैक. इस प्रकार कुल तादादी 6.325 हैक. मे से 1.029 हैक. मे वादी का 1/2 हिस्सा कृशी भूमि मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 207–75 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित/पति जमाबन्दी सलग्नं वाद पत्र है। तथा वादी के नाम से सयुक्त खाता में खातेदारी कृशी भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 7 एचडीपी के खाता सं. 79 के पं. नं. 7/249(32) के कि. नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक.नहरी मे से 165 हि. मे वादी का 1/2 हिस्सा कृशी भूमि मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 दर्ज राजस्व रिकार्ड है।/पमाणित प्रति जमाबन्दी सलग्न वाद पत्र है। तथा वादी के नाम वर्णित कृशी भूमि वादी को अपने दादा श्री मामराज पुत्र श्री गोविन्द राम से जरिये वसीयत दिनंका 09.01.1992 को प्राप्त भुाद्वा है। वसीयत उप पजींयन महोदय पीलीबंगा से पजीयंन भुाद्वा है।वादी के दादा का देहान्त होने के प चात मुताबिक वसीतय वादी के नाम से वर्णित कृशी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हुई तथा वादी के दादा ने जब वसीयत वादी के ह कमे तहरीर व पंजीयन करवाई उस समय वादी का घरेलू नाम मनीराम था उसी घरेलू नाम के अनुसार वादी के दादा ने अपनी स्वय अर्जित कृशी भूमि की वसीयत के वादी के भाई सुरेन्द्रब कुमार के रोबरू गवाहान तहरीर व पर्जीयन करवाई एंव वादी के दादा की मृत्यु प चात मुताबिक वसीयत ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुआ ।वादी के परिवार में मनीराम नाम अन्य कोई भी सदस्य नही है। अर्थात मनीराम व अनिल कुमार एक ही व्यकित यानी वादी ही है। वादी का सही एंव वास्तविक नाम अनिल कुमार है। एंव वादी के भौक्षणिक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दस्तावेज, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र , भामा ाह कार्ड, रा न कार्ड में वादी का नाम अनिल कुमार ही दर्ज है। चित्र प्रति दस्तावेज नाम सबंधी वाद पत्र है। तथा वर्णित कृशी भुमि पर बिना किसी विवाद के चला आ रहा है। लेकिन वादी का नाम राजस्व रिकार्ड एंव पहचान संबंधी दस्तावेज में अलग–अलग दर्ज होने से वादी को कृशी विकास हेतु लेने , भूमि संबधीं राजकीय अनुदान लेने में काफी परे ानी होती है

तथा वादी की हकूक खातदेारी पर विपरित असर पड़ता है। तथा वर्णित कृशी भूमि में मनीराम नाम दुरूस्त करवाकर सं ोधित नाम अनिल कुमार दर्ज करवाने का अधिकारी है। तथा वादी ने प्रतिवादी को कई दफा राजस्व रिकार्ड में सं ोधित नाम दर्ज करने के लिखित प्रार्थना पत्र एंव साक्ष्य प्रस्तुत किये लेकिन प्रतिवादी टालमटोल करते रहे तथा 5 दिनं पुर्व प्रतिवादी ने साफ मना कर दिया एंव कहा कि उक्त क्षेत्राधिकार मेरा नही है। आपको सक्ष्य न्यायालय में वाद पत्रत्र प्रस्तुत कर अपना नाम सं ोधन करवा सकते है जों वाद कारण है। साक्ष्य में नकल जमाबन्दी चालू चक 7 एचडीपी ,खाता 78, नकल जमाबन्दी चालू चक 7 एचडीपी खाता 29, नकल विधार्थी प्रगति विवरण पत्र, भौक्षि क विवरण, प्रगति पत्र कक्षा X, प्रगति पत्र कक्षा Xll , अध्यन प्रगति कक्षा Vi ,माध्यमिक ि ाक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर प्रवे ा पत्र , माध्यमिक ि ाक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अक तालिका, माध्यमिक ि ाक्षा बोर्ड, राजस्थान 2002 अक तालिका, मुल निवास प्रमाण पत्र ,अन्य पिछडा जाति का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, रा न कार्ड , ापथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादी को तलब किया गया। जबाब स्टेट पे ा कर निवेदन किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुये वाद का निस्तारण किया जावें।

बहस सूनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज के आधार पर वादी का नाम मनीराम पुत्र लालचन्द न होंकर अनि कुमार पुत्र लालचन्द साबित होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत भापथ पत्र वादी के पिता द्वारा प्रस्तुत भापथ पत्र से वाद वादी साबित होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के नाम दर्ज भूमि चक 7 एचडीपी के खाता सं. 78 व 79 में दर्ज भूमि में वादी का नाम मनीराम पुत्र लालचन्द के स्थान पर अनिल कुमार पुत्र लालचन्द किया जाता है। उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में मनीराम के स्थान पर अनिल कुमार दर्ज किया जावें पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official